

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या/28/2023(GCMS : 2023/282)

RELIANCE ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED, 11TH FLOOR,  
NORTH WING, R-TECH PARK, ROMELL OFF WE HIGHWAY GOREGAON  
(EAST), MUMBAI-400063

बनाम


1. RAJENDER KUMAR S/O JAGDISH PRASAD  
ADD-1 WARD NO. 10, 3BMM, BIRMANA, GANGANAGAR, RAJASTHAN-  
335704, ADD-2 VILLAGE- BIRMANA, TEHSIL SURATGARH, DISTRICT  
SRIGANGANAGAR, ADMEASURING 1516-31 SQUARE METER
2. MAYA DEVI W/O TIKU RAM ADD-1 WARD NO. 10, 3BMM, BIRMANA,  
GANGANAGAR, RAJASTHAN-335704
3. SHANKAR LAL S/O MOMANA RAM, ADD-1 WARD NO. 10, 3BMM,  
BIRMANA, GANGANAGAR, RAJASTHAN- 335704 ADD-2 VILLAGE-  
BIRMANA, TEHSIL SURATGARH, DISTRICT SRIGANGANAGAR,  
ADMEASURING 1516-31 SQUARE METER



08.11.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री प्रदीप धरेड व मुकेश कुमार ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण राजेन्द्र कुमार, मायादेवी व शंकरलाल को ऋण सुविधा के रूप में राशि 8,11,000/-लाख रूपये (अखरे आठ लाख ग्यारह हजार रूपये मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 21.09.2017 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति विक्रय पत्र गांव बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1516.31 वर्गमीटर) जो कि दिनांक 18.02.2016 को पुस्तक सं. 01 जिल्द सं. 598 में पृष्ठ सं. 73 कम सं. 201603219100473 पर पंजीबद्ध किया गया अति0 पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 1636 पृष्ठ सं. 57 से 60 पर चस्पा किया गया (सब रजिस्टार रजियासर) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र [QR Code] अन्य उपलब्ध दस्तावेजात. का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के

  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर

अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण राजेन्द्र कुमार, मायादेवी, शंकरलाल ऋण सुविधा के रूप में 8,11,000/-लाख रुपये (अखरे आठ लाख ग्यारह हजार रुपये मात्र) की राशि की स्वीकृति दिनांक 21.09.2017 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति विक्रय पत्र गांव बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1516.31 वर्गमीटर) जो कि दिनांक 18.02.2016 को पुस्तक सं. 01 जिल्द सं. 598 में पृष्ठ सं. 73 क्रम सं. 201603219100473 पर पंजीबद्ध किया गया अति० पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 1636 पृष्ठ सं. 57 से 60 पर चस्पा किया गया (सब रजिस्टार रजियासर), प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 31.12.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 22.08.2023 को जारी कर दिनांक 25.08.2023 को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये हैं। धारा 13(2) नोटिस अप्रार्थीगण को भिजवाने की पोस्ट ऑफिस रसीद प्रार्थना पत्र में संलग्न है जबकि नोटिस प्राप्ति की रसीद या ऑनलाईन ट्रैक की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) के नोटिस दो समाचार पत्रों 07.10.2022 को भी प्रकाशित करवाया है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति विक्रय पत्र गांव बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1516.31 वर्गमीटर) जो कि दिनांक 18.02.2016 को पुस्तक सं.

**जिला मजिस्ट्रेट**  
**श्री गंगानगर**

01 जिल्द सं. 598 में पृष्ठ सं. 73 कम सं. 201603219100473 पर पंजीबद्ध किया गया अति0 पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 1636 पृष्ठ सं. 57 से 60 पर चस्पा किया गया (सब रजिस्टार रजियासर), जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबंध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 22.08.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 22.08.2022 को भिजवाये जाने के अनुसार 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस पर अप्रार्थीगण दिनांक 25.08.2022 को ही रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण के धारा 13(2) नोटिस प्राप्ति या ऑनलाइन ट्रैकिंग रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) का 60 दिवस का नोटिस जारी करने पर यदि अप्रार्थीगण ऋणियों पर नोटिस की तामील नहीं होती है और अप्रार्थीगण नोटिस की तामील से बचने का प्रयास करते हैं तो नोटिस की प्रति उनके निवास स्थान पर चस्पा कर, दो समाचार पत्रों में धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन करवाना आवश्यक होता है परन्तु प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 22.08.2022 को जारी कर पोस्ट ऑफिस की रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 25.08.2022 को अप्रार्थीगण को भिजवाया है जिसके ऑनलाइन ट्रैक के अनुसार समस्त अप्रार्थीगण को धारा 13(2) की तामील नहीं हुई है, इसलिए समस्त अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत् तामील नहीं होने पर, प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) के नोटिस की प्रति उनके निवास स्थान पर चस्पा किये बिना ही, समाचार पत्र दैनिक अमृत इंडिया व इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 07.10.2022 को प्रकाशित करवा दिया है।

नोटिस तामील के सम्बन्ध में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 3 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

*Am*  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर

**Demand Notice**

The service of demand notice as referred to in sub-section (2) of section 13 of the Ordinance shall be made by delivering or transmitting at the place where the borrower or his agent, empowered to accept the notice or documents on behalf of the borrower, actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, by registered post with acknowledgement due, addressed to the borrower or his agent empowered to accept the service or by Speed Post or by courier or by any other means of transmission of documents like fax message or electronic mail service:

**PROVIDED** that where authorised officer has reason to believe that **the borrower or his agent is avoiding the service of the notice or that for any other reason, the service cannot be made as aforesaid, the service shall be effected by affixing a copy of the demand notice on the the outer door or some other conspicuous part of the house or building in which the borrower or his agent ordinarily resides or carries on business or personally works for gain and also by publishing the contents of the demand notice in two leading newspaper, one in vernacular language, having sufficient circulation in that locality.**

(2) Where the borrower is a body corporate the demand notice shall be served on the registered office or any of the branches of such body corporate as specified under sub rule(a)

(3) Any other notice in writing to be served on the borrower or his agent by authorised officer, shall be served in the same manner as provided in this rule.

(4) Where there are more than one borrower the demand notice shall be served on each borrower.

चूंकि प्रार्थीगण धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 22.08.2022 को जारी कर रजिस्टर्ड डाक से भी दिनांक 25.08.2023 को भिजवाये जाने अंकित है और धारा 13(2) के नोटिस की तामील अप्रार्थीगण ऋणी/सहऋणी/गारंटर पर नोटिस की तामील स्वयं पर होनी आवश्यक है जबकि समस्त अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील स्वयं पर नहीं हुई है जो उक्त THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 के RULE 3(4) के प्रावधानों की अवहेलना है।

*Amu*  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर

इस प्रकार समस्त अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत् तामील होना नहीं माना जा सकता।

कोई भी न्यायालय किसी भी प्रचलित/प्रभावी अधिनियम के प्रावधानों के बाहर जाकर कोई निर्देश/आदेश जारी नहीं कर सकता है और इसके सम्बन्ध माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीड ने 2012 Cr. I.R.(SC) 726 - State of Bihar & Anr versus Arvind Kumar & Anr के पैरा-13 में भी निम्न प्रकार से निर्देश दिये है:

13. In Manish Goel Vs Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that genrally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provis'ons. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [see aslo : Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs Dr. Anand Prakash Mishra & Ors., (1997) 10 SCC 264; and karnataka State Road Trasnport Corporation Vs Ashrafulla Khan & Ors, AIR 2002 SC 629]

चूंकि अप्रार्थीगण पर उक्त RULE 3(4) के प्रावधानों के तहत धारा 13(2) के नोटिस की तामील न होने के कारण एवं उक्त कानूनी प्रावधानों की अवहेलना होने के कारण, प्रार्थी रिलायस असेट रिकन्शट्रेशन कम्पनी लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 स्वीकार करने योग्य नहीं है। प्रार्थी बैंक का उक्त प्रार्थना खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए अप्रार्थीगण को पुनः धारा 13(2) के नोटिस जारी कर सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से कर पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर, बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(अंशदीप)

जिला मजिस्ट्रेट  
श्री मंगानगर